GLIBS

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचता था नकली इंजन आयल, और भी किए कई कारनामे

अपराध / छत्तीसगढ़   हर्ष अग्रवाल | 06 Nov , 2019 07:37 PM

रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत छातामुड़ा के पास स्थित रावण ऑटो दुकान पर कैस्ट्रॉल इंडिया नई दिल्ली की टीम ने नकली इंजन आयल बिक्री करने की सूचना पर छापा मारा। कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड कंपनी नई दिल्ली से रविंद्र सिंह पिता चंद्र सिंह की टीम जांच के लिए रायगढ़ आई थी। जूटमिल पुलिस स्टाफ के सहयोग से दिल्ली की टीम ने आरोपी बंटी साहू की दुकान रावण ऑटो सेंटर पर छापेमारी कर 90 कैस्ट्रॉल आयल के नकली डिब्बे बरामद किए। नकली इंजन आयल की कीमत करीब 31,250 रुपए हैं। रविंद्र सिंह की रिपोर्ट पर चौकी जुटमिल में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार जालसाज बंटी साहू ने अपने आप को छड़-सीमेंट का थोक विक्रेता बताकर व बाजार से सस्ते दाम में माल सप्लाई करने की बात कहकर ग्राम बरमूडा थाना कोतरारोड निवासी डमरूधर पटेल से एडवांस 44,000 रुपए ले लिए और आज तक सामान की डिलीवरी नहीं की। इसी तरह आरोपी ने ग्राम हरदी थाना सारंगढ़ निवासी रोशन वर्मा से भी 1,25,000 रुपए ठग लिया और सामान की डिलीवरी देने से मुकर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी ने सेकंड हैंड बाइक बिक्री करने के लिए एक पुरानी एवेंजर बाइक को ग्राम गुडेली थाना सारंगढ़ निवासी प्रेम सिंह यादव पिता चौकी लाल यादव को दिखाया और उसे 65000 में सौदा तय कर 30,000 रुपए बतौर एडवांस ले लिया और आज तक उसे बाइक नहीं दी। सभी पीड़ितों ने इसकी शिकायत जूटमिल चौकी में की थी। जूटमिल पुलिस ने आरोपी बंटी साहू पिता संतराम साहू (33) निवासी एफसीआई गोदाम छातामुड़ा नाका जूटमिल को उपरोक्त सभी अपराधों में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

Source: https://glibs.in/Crime/Fake-engine-oil-was-sold-in-the-name-of-the-branded-company-76794.html